फार्म ऑर्डर
(नियम (20))

अदालत ..... सिकराय .....

सरकार बनाम ..... मु० नं० 06/19

मुकदमा ..... धारा 138

| क्रम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3/2/19 | प्रार्थी एवं अभि० परोक्षकार सरकार उपस्थित, अप्रार्थी अनुपस्थित, परोक्षकार सरकार को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया व कहने का अवसर दिया गया। प्रकरण में हिस्सा दर्ज न दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली स्वीकार किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 45, 46 बाड़े सामा गिरधारीपुरा तह० सिकराय के राजस्व रिकार्ड कागजे घी में वर्तमान में दर्ज हिस्सेदारी के स्थान पर दुरस्ती कर रामस्वरूप, रामरूप, हजारी, पहलाद, कैलाश, पि० रामचन्द्र हि० 1/8 जगदीश पुत्र बंशी लाल की पत्नि स्व. बंशीलाल पुत्र मोहरपाल हि० 1/4 मीठा पुत्र मोहरी हि० 1/4 किशन लाल पुत्र गैला हि० 1/4 आदि मीना खाते दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं। निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल होकर नम्बर के की जावे। | |

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
सिकराय जिला दौसा